राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय संख्या–3

उपस्थितः माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्या0)।

याचिका संख्याः 2132/2015

विपिन कुमार राय, आयु लगभग 41 वर्ष, पुत्र स्व0 विद्याधर राय,
निवासी–ग्राम व पोस्ट–पनैल, जनपद–मऊ।

..... याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।

..... विपक्षीगण।

श्री देवांश मणि तिवारी याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से श्री सुरेश कुमार विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्या0) द्वारा श्रुतलेखित।

याची ने यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की हैः–

(a) That this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to quash the impugned orders dated 14-11-2013 and 18-05-2015 contained in Annexure No. 1 & 2 to this claim petition with all consequential service benefits arising thereof.

(b) That any other order or direction as the Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the petitioner along with the cost of the claim petition.

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याची की नियुक्ति आबकारी निरीक्षक के पद पर दिनांक 18.12.2000 को आबकारी विभाग में हुई थी। याची जब क्षेत्र–1 जनपद जौनपुर में नियुक्त था तो दिनांक 15.05.2012 को श्री वी0के0 सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में ई0आई0बी0 टीम द्वारा रैण्डम आधार पर निरीक्षण करने पर ओवर रेटिंग का प्रकरण प्रकाश में आया। विदेशी मदिरा दुकान, सिपाह

पर मैकडावल नं0–1 ब्राण्ड का अद्धा, जिसका निर्धारित मूल्य रू0 225/– है, को रू0 235/– में बिक्री करते पाया गया। इस संबंध में याची के विरूद्व जॉच हेतु श्री योगेश कुमार राय, उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वारणसी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच अधिकारी ने आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित आरोप–पत्र याची को निर्गत किया गया जिसमें याची के ऊपर एक आरोप लगाया गया जिसमें यह कहा गया कि कार्यालय के परिपत्र दिनांक 10.02. 2012 के अनुक्रम में परिपत्र दिनांक 12.03.2012 के अन्तर्गत निर्देशित किया गया था कि– "प्रत्येक आबकारी निरीक्षक अपने–अपने सर्किल/सेक्टर के बारे में प्रत्येक माह की पहली तारीख को लिखित रूप से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र आयुक्तालय को प्रेषित करेंगे कि उसके संबंधित सर्किल/सेक्टर में गत बीते हुए माह में देशी/विदेशी मदिरा/बियर की एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर थोक/फुटकर बिक्री (ओवर रेटिंग) नहीं हुई और जो भी व्यक्ति/अनुज्ञापी इसमें संलिप्त पाया गया, उसके विरूद्व विधिसम्मत् कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। यह प्रमाण–पत्र मुख्यालय पर विलम्बतम महीने की 07 तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिए", परन्तु उपरोक्त कड़े निर्देश के बावजूद याची द्वारा आयुक्तालय को मार्च एवं अप्रैल, 2012 दोनों माहों का प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किया गया। याची द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गयी घोर उदासीनता, अधीनस्थ अनुज्ञापियों पर शिथिल नियंत्रण के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3(1) व 3(2) के अन्तर्गत अपना उत्तर आरोप–पत्र के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। याची द्वारा आरोप–पत्र का उत्तर दिनांक 02.07.2012 को प्रेषित करते हुए उसके प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि "समस्त जि0आ0अ0 उ0प्र0 को प्रेषित अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन के पत्र सं0–7028–7102/अ0आ0आ0 प्रशा0/विधान सभा चुनाव/2012 दि0 इलाहाबाद फरवरी 11.2012 द्वारा ओवर रेटिंग न होने का माह का प्रमाण–पत्र अगले माह की 7 तारीख तक मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालनार्थ जि0आ0अ0 के पृष्ठांकन सं0–1244–47 के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रमाण–पत्र जि0आ0अ0 कार्यालय में प्रेषित किया गया। इस आधार पर जनपद का समेकित प्रमाण–पत्र जि0आ0अ0 द्वारा माह मार्च, अप्रैल व मई के क्रमशः 09 अप्रैल, 04 मई व 05 जून 2012 को प्रेषित किये गये। इस प्रकार मासिक प्रमाण–पत्रों का प्रेषण समयान्तर्गत किया गया। इसके उपरांत जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या 19.07.2012 को प्रस्तुत की गयी जिसमें याची को दोषी नहीं पाया गया।

3. दण्डाधिकारी द्वारा याची को दिनांक 14.10.2013 को कारण बताओ नोटिस मय जॉच आख्या दिनांक 19.07.2012 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–9(2) के अन्तर्गत जॉच अधिकारी की जॉच

आख्या से भिन्न मत व्यक्त करते हुए निर्गत की गयी तथा अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा यह कहा गया कि **"जॉच अधिकारी के मत से मैं सहमत नहीं हूॅ, क्योंकि आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के प्रस्तर–102 (1), 115 व 117 में उल्लेख है कि आबकारी दुकानों का निरीक्षण, अनुज्ञापियों/विक्रेताओं पर नियंत्रण, अवैध शराब की बिक्री, तस्करी, अवैध मद्य निष्कर्षण की रोकथाम के अन्तर्गत आबकारी दुकानों से ओवर रेटिंग की रोकथाम आदि का मूल दायित्व आबकारी निरीक्षक का होता है।"** याची ने अपना विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया, परन्तु याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये तथ्यों पर बिना विचार किये दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 पारित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया। याची ने दण्डादेश के विरूद्व अपील दिनांक 10.01.2014 को प्रस्तुत की परन्तु अपीलीय अधिकारी ने भी याची की अपील पर बिना विचार किये उसकी अपील को आदेश दिनांक 18.05.2015 द्वारा निरस्त कर दिया। उपरोक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर याची ने यह याचिका उन्हें निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है।

4. विपक्षीगण की ओर से लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया कि याची जब आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 जनपद जौनपुर की नियुक्ति अवधि के दौरान श्री वी0के0 सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में ई0आई0बी0 टीम द्वारा दुकानों के निरीक्षणोंपरान्त् विदेशी मदिरा दुकान, सिपाह पर ओवर रेटिंग का प्रकरण पकड़े जाने के फलस्वरूप अपने अधीनस्थ अनुज्ञापियों पर शिथिल नियंत्रण एवं कर्तव्य निर्वहन में बरती गयी उदासीनता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए याची के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। याची को पत्र दिनांक 30.05.2012 द्वारा आरोप–पत्र निर्गत किया गया तथा आदेश दिनांक 03.05.2012 द्वारा आरोप की जॉच हेतु श्री योगेश कुमार राय, उप आबकारी आुयक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही सम्पादित करते हुए जॉच आख्या दिनांक 19.07.2012 प्रस्तुत की गयी। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त् जॉच से असहमत होते हुए याची से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–9(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत कर याची का अभ्यावेदन दिनांक 17.10.2013 को प्राप्त किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित सभी बिन्दुओं पर तथा जॉच आख्या पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक ज्ञान एवं स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर याची को पूर्णतया दोषी पाते हुए विस्तृत कारण अंकित हुए सकारण आदेश के माध्यम से परिनिन्दा संबंधी दण्डादेश पारित किया गया, जो पूर्णतया

विधिक एवं नियमानुकूल है जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। प्रश्नगत् दण्डादेश के विरूद्व प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् पूर्णतया तथ्यहीन एवं बलहीन पाये जाने पर विस्तृत कारण अंकित करते हुए सकारण आदेश पारित किया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है। याची विवादित आदेशों के विरूद्व कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

5. विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के विरूद्व याची द्वारा प्रतियुत्तर शपथ–पत्र दिनांक 08.01.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि याची द्वारा अपनी याचिका में कहे गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

6. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता श्री देवांशमणि तिवारी तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याची को जॉच में दोषी नहीं पाया गया परन्तु जॉच से भिन्न मत रखते हुए याची को कारण बताओ नोटिस विपक्षी संख्या–2 द्वारा निर्गत की गयी परन्तु उसमें जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से भिन्न मत स्थिर करने के संबंध में कारणों का उल्लेख कारण बताओ नोटिस में करना चाहिये था जो नहीं किया गया है जो उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–9(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिका के प्रस्तर–4.15 की ओर भी मेरा ध्यान आकृष्ट कराया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किया गय किसी भी बिन्दु/तथ्य के संदर्भ में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कोई भी अभिमत नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी द्वारा याची के विरूद्व पारित दण्डादेश सकारण और मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है जो निरस्त किये जाने योग्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18.05.2015 पारित करने के पूर्व दण्डाधिकारी आबकारी आयुक्त से आख्या प्राप्त की है तदोपरान्त् आदेश पारित किया गया है परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा दी गयी आख्या से याची को कभी भी अवगत नहीं कराया गया और न ही आख्या की कोई प्रतिलिपि उसे प्रदान की गयी है जबकि उसकी प्रति याची को दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार याची के विरूद्व पारित अपीलीय आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है।

8. विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए मेरा ध्यान याची को दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत कारण बताओ

नोटिस में अधिरोपित आरोप के संदर्भ में आकृष्ट कराया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दण्डाधिकारी द्वारा उसे कारण बताओ संसूचना में जॉच अधिकारी की आख्या से भिन्न मत व्यक्त करने के संबंध में समुचित तर्क प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार याची का यह तर्क की जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से भिन्न मत रखने के संबंध में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस में कोई उल्लेख नहीं है सही नहीं है तथा तथ्यों के आधार पर निराधार है।

9. याची की ओर से अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (1) AWC 457 (Allahabad High Court) C.M.W.P. No. 3743 of 2006 Decided on October 20, 2008 Sanjeev Kumar Versus State of U.P. and others में दी गयी विधि व्यवस्था के प्रस्तर–7, 8 एवं 15 का उल्लेख किया गया जो निम्नवत् हैंः–

7. Rule 9, sub-rule (2) clearly provides that if the Disciplinary Authority disagrees with the findings of the Inquiry Officer on any charge. It shall record its own finding thereto with the reasons. Sub-rule (4) further requires that if the disciplinary authority is of the opinion that the Government servant deserves imposition of some penalty under Rule 3 he shall furnish a copy of the inquiry report alongwith his findings recorded, if any, under sub-rule (2) of Rule 9 to the delinquent employee and would allow him reasonable time to submit a reply/representation. After receiving the representation, again the disciplinary authority shall consider the aforesaid material alongwith the reply if any, and pass a reasoned order imposing one or more penalty mentioned in Rule 3 and communicate the same to the delinquent employee.

8. Therefore, there are two stages at which the disciplinary authority has to pass reasoned orders. one under sub-rule (2) and the other under sub-rule(4). Under sub-rule (2) it has to record its reasons for disagreement with inquiry report in respect to findings on certain charges and thereafter communicate the same to the latter. Under sub-rule (4) it has to pass a reasoned order for imposing penalty after the representation of the delinquent employee is received.

15. We do not, however, agree to the above submission. When the rule framing authority itself has made separate provision making it obligatory upon the disciplinary authority to record reasons at two different stages, one, when it disagrees with the finding of the Inquiry Officer and, secondly, when it decides to pass an order of punishment after considering the reply given by the delinquent employee against the findings of disagreement of the

disciplinary authority, then it is obligatory upon the disciplinary authority to follow such procedure stricly. This Court would not read the aforesaid provision in such a manner so as to make one or the other exercise nugatory by reading the order in the manner as suggested by learned standing counsel. The reasons contained in the disagreement note constitute the ex parte view taken by the disciplinary authority against the findings recorded by the Inquiry Officer. When it is communicated to the delinquent employee and he submits its reply, the disciplinary authority is benefited with the explanation given by the delinquent employee. In order to find out as to whether it would like to stick to its earlier view of disagreement with the finding of the Inquiry Officer or the same needs to be changed, modified, partly or wholly in the light of explanation given by the delinquent employee, it has to apply its mind again. The reasons, therefore, are required to be recorded by the disciplinary authority as to why thye explanation given by the delinquent employee is or is not satisfactory. The purpose and objective of reasons to be recorded under sub-rule (2) and (4)of Rule 9 are different. They are to be recorded at different stages with slightly different material in as much as at the former state, the stand of the delinquent employee is not available to the disciplinary authoriy while in the later case it is available. We, therefore, are clearly of the view that non-observance of Rule 9 (4) is fatal since its compliance is mandatory. If the delinquent employee after communicating its disagreement not and Inquiry Officer's finding to the delinquent employee and after receiving the reply failed to pass a reasoned order imposing punishment upon the delinquent employee, such order would not be tenable in law and has to be set aside.

10. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **State of U.P. and 2 others Vs. Shyam Kewal Ram Special ppeal No. - 291 of 2024** के प्रस्तर–6 में दी गयी विधि व्यवस्था को उद्वत किया गया है जो निम्नवत् हैः–

6- Recording of reasons in the show cause notice for disagreeing with the opinion of inquiry officer has a definite purpose to subserve. It gives an opportunity to the delinquent employee to offer his explanation on the issues that have weighed with the disciplinary authority. In a case where the disciplinary authoirty does not record reasons for his disagreement with the opinion of the inquiry officer the delinquent employee will be denuded of his right to effectively explain his defense regarding reasons of disagreement. The law in that regard has been settled by the Supreme Court in Punjab Nation Bank vs. Kunj Behari Misra 1998

(7) SCC 84, wherein the Court has clearly observed that reasons of disagreemnt must be disclosed to the delinquent employee in order to enable him to effectively meet the material which is proposed to be relied upon against him. Para 17 and 19 of the judgment are relevant for the present purposes and are reproduced hereinafter:-

"17.....The principles of natural justice would demand that the authority which proposes to decide against the delinquent officer must give him a hearing. When the enquiring officer holds the charges to be proved, then that report has to be given to the delinquent officer who can make a representation before the disciplinary authority takes further action which may be prejudicial to the delinquent officer. When, like in the present case, the enquiry report is in favour of the delinquent officer but the disciplinary authority proposes to differ with such conclusions, then that authority which is deciding against the delinquent officer must give him an opportunity of being heard for otherwise he would be condemned unheard. In depatmental proceedings, what is of ultimate importance is the finding of the disciplinary authority.

19.....As a result thereof, whenever the disciplinary authority disagrees with the enquiry authority on any article of charge, then before it records its own findings on such charge, it must record its tentative reasons for such disagreement and give to the delinquent officer an opportunity to represent before it records its finding. The report of the enquiry officer containing its finding will have to be conveyed and the delinquent officer will have an opportunity to persuade the disciplinary authority to accept the favourable conclusion of the enquiry officer. The principles of natural justice, as we have already observed, requir the authority which has to take a final decision and can impose a penalty, to give an opportunity to the officer charged of misconduct to file a representation before the disciplinary authoirty records its findings on the charges framed against the officer."

The aforesaid point of law has been reaffirmed by the Apex Court in Stat Bank of India & Ors. vs. Mohammad Badruddin (2019) 16 SCC 69.

11. मेरे द्वारा याची को निर्गत कारण बताओ नोटिस तथा दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से असहमत होने के संबंध में कारण बताओ नोटिस में कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है, मात्र कारण बताओ नोटिस में यह कहा गया है कि **"जॉच अधिकारी के मत से मैं सहमत नहीं हूॅ, क्योंकि आबकारी मैनुअल खण्ड–1**

के प्रस्तर–102 (1), 115 व 117 में उल्लेख है कि आबकारी दुकानों का निरीक्षण, अनुज्ञापियों/विक्रेताओं पर नियंत्रण, अवैध शराब की बिक्री, तस्करी, अवैध मद्य निष्कर्षण की रोकथाम के अन्तर्गत आबकारी दुकानों से ओवर रेटिंग की रोकथाम आदि का मूल दायित्व आबकारी निरीक्षक का होता है।" इसमें आबकारी मैनुअल का उल्लेख किया गया है परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जॉच अधिकारी द्वारा की गयी जॉच से वह क्यों सहमत नहीं है। दण्डाधिकारी को जॉच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने के संबंध में स्पष्ट रूप से असहमति का कारण देना चाहिये था जो नहीं दिया गया है। दण्डादेश में भी उपरोक्त संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

12. मेरे द्वारा आरोप–पत्र का भी अवलोकन किया गया जिसमें यह कहा गया है "कि देशी/विदेशी मदिरा/बियर की एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर थोक/फुटकर बिक्री (ओवर रेटिंग) नहीं हुई और जो भी व्यक्ति/अनुज्ञापी इसमें संलिप्त पाया गया, उसके विरूद्व विधिसम्मत् कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। यह प्रमाण–पत्र मुख्यालय पर विलम्बतम महीने की 07 तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिए", परन्तु उपरोक्त कड़े निर्देश के बावजूद याची द्वारा आयुक्तालय को मार्च एवं अप्रैल, 2012 दोनों माहों का प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किया गया जबकि याची ने आरोप पत्र के उत्तर के प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "समस्त जि0आ0अ0 उ0प्र0 को प्रेषित अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन के पत्र सं0–7028–7102/अ0आ0आ0 प्रशा0/विधान सभा चुनाव/2012 दि0 इलाहाबाद फरवरी 11.2012 द्वारा ओवर रेटिंग न होने का माह का प्रमाण–पत्र अगले माह की 7 तारीख तक मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालनार्थ जि0आ0अ0 के पृष्ठांकन सं0–1244–47 के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रमाण–पत्र जि0आ0अ0 कार्यालय में प्रेषित किया गया। इस आधार पर जनपद का समेकित प्रमाण–पत्र जि0आ0अ0 द्वारा माह मार्च, अप्रैल व मई के क्रमशः 09 अप्रैल, 04 मई व 05 जून 2012 को प्रेषित किये गये। इस प्रकार मासिक प्रमाण–पत्रों का प्रेषण समयान्तर्गत किया गया" जिसका उल्लेख याची द्वारा अपनी याचिका के प्रस्तर–4.4 में भी किया गया है। विपक्षीगण की ओर से दाखिल लिखित कथन के प्रस्तर–6 में याचिका के प्रस्तर–4.4 का उल्लेख किया गया है परन्तु प्रस्तर–6 में प्रमाण–पत्रों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में भी इस तथ्य को सिद्व नहीं पाया गया है कि याची द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किये गये हैं। मेरे द्वारा याची के विरूद्व पारित दण्डादेश का भी अवलोकन किया गया जिसमें याची के विरूद्व लगाये गये आरोप का उल्लेख किया गया है उसके उपरांत याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का उल्लेख है, तदोपरान्त् जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में दिये गये निष्कर्ष का उल्लेख है जिसमें

उपरोक्त आरोप को जॉच अधिकारी द्वारा सिद्व नहीं पाया गया है। दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में दण्डादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि याची के ऊपर प्रमाण–पत्र प्रेषित न करने का आरोप सिद्व नहीं होता है।

13. मेरे द्वारा याची द्वारा दण्डादेश के विरूद्व पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.05.2015 का भी अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा याची की अपील/प्रत्यावेदन पर पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 के अन्तिम प्रस्तर–4 में यह उल्लेख है कि **"प्रकरण में प्रत्यावेदक को दिये गये दण्ड, अपचारी अधिकारी के प्रत्यावेदन तथा उस पर आबकारी आयुक्त से प्राप्त आख्या का सम्यक् परिशीलन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि श्री विपिन राय के क्षेत्रान्तर्गत दुकानों पर ओवर रेटिंग हो रही थी।"** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आबकारी आयुक्त से प्राप्त आख्या के आधार पर अपीलीय आदेश पारित किया गया है परन्तु उपरोक्त आख्या की प्रति याची को प्रदान नहीं की गयी है जबकि यह आवश्यक था कि जिस आख्या का संज्ञान अपीलीय आदेश पारित करने में लिया गया है उसकी प्रति आदेश पारित करने के पूर्व याची को प्रदान की जानी चाहिये थी तथा उसका उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है।

14. इस प्रकार याची द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची की याचिका में बल पाया जाता है तथा याची के विरूद्व पारित दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 तथा प्रत्यावेदन पर पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 (संलग्नक–1) एवं प्रत्यावेदन/अपील पर पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 (संलग्नक–2) अपास्त किये जाते है। विपक्षीगण को निर्देश दिये जाते है कि वह याची को सेवा संबंधी सभी लाभ जो इन आदेशों के कारण रोके गये है वह निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 03 माह में प्रदान करें।

पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्या0)।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्या0)।

दिनांकः 09 अक्तूबर, 2024
एम0ए0/पी0एस0।